



इलाहाबाद उच्च न्यायालय खण्ड पीठ

लखनऊ

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 13057 वर्ष 2025

वासुदेव दुबे उर्फ बसुदे दुबे

.....आवेदक (गण)

बनाम

प्रमुख सचिव गृह लखनऊ, के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य

..... प्रतिवादी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता: सुमित चौहान, मनीष कुमार सिंह, प्रतिभा मौर्य

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय कक्ष संख्या-12

माननीय न्यायमूर्ति जफ़ीर अहमद

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. यह जमानत याचिका आवेदक वासुदेव दुबे उर्फ बासुदेव दुबे की ओर से थाना- फखरपुर, जिला- बहराइच में धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और असामाजिक गतिविधियां (निवारण) अधिनियम, 1986, के तहत दर्ज अपराध संख्या 192/2021 में जमानत के लिए दायर की गई है।

3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि याचिकाकर्ता निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता 20.04.2021 से जेल में बंद है। उन्होंने यह भी बताया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ लंबित दस मामलों में से छह मामलों में उसे जमानत मिल चुकी है और शेष चार मामलों में आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता ने उपरोक्त मामलों में जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया है।

4. विद्वान अधिवक्ता ने आगे बताया कि गिरोह का सरगना, दिनेश शर्मा, जिसकी स्थिति लगभग समान है और जिसकी भूमिका वर्तमान आवेदक की तुलना में अधिक गंभीर है, को पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। अतः, आवेदक का मामला बेहतर स्थिति में है और समानता के आधार पर विचार किए जाने का हकदार है।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है, लेकिन इस तथ्य पर विवाद नहीं कर सके कि गिरोह के सरगना को इस न्यायालय द्वारा पहले ही जमानत दी जा चुकी है।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों, अभियोग की प्रकृति, आवेदक द्वारा 20.04.2021 से भुगती गई कारावास की अवधि, इस तथ्य कि जिन मामलों में आवेदक जमानत पर नहीं है उनमें पहले ही आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है, और विशेष रूप से सह-आरोपी/गिरोह के सरगना दिनेश शर्मा के साथ समानता को ध्यान में रखते हुए, जिसे इस न्यायालय द्वारा पहले ही जमानत दी जा चुकी है, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत देने के लिए उपयुक्त मामला पाता हूं।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. तदनुसार, जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।

8. आवेदक वासुदेव दुबे उर्फ बासुदेव दुबे को उपरोक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप निजी मुचलका और समान राशि के दो विश्वसनीय जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/ उन्हें डराएगा नहीं।

(iii) आवेदक को निर्धारित प्रत्येक तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

(iv) आवेदक जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।

(v) उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर अभियोजन पक्ष जमानत रद्द करने के लिए आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(न्यायमूर्ति जफ़ीर अहमद)

3 जून, 2026

फहीम/-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।